राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या - 606/2010/झालावाड्

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट—प्रथम, झालावाड़।

....अपीलार्थी

बनाम

मैसर्स जुगराज सिंह पुत्र श्री सुखदेव सिंह, गुरूदासपुर, पंजाब वाहन चालक/माल प्रभारी वाहन संख्या एच आर 38 ई—9837 जरिए निटको रोडवेज प्राठलिठ, जम्मू।

....प्रत्यर्थी

<u>एकलपीठ</u> श्री ओमकार सिंह आशिया, सदस्य

उपस्थित ::

श्री अनिल पोखरणा, उप राजकीय अधिवक्ता


......अपीलार्थी की ओर से

.....प्रत्यर्थी बावजूद सूचना अनुपस्थित

दिनांक: 01/02/2018

निर्णय


- 1. अपीलार्थी—विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स)प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे "अपीलीय अधिकारी" कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 25/आरवेट /एनआरडी / 2007—08 में पारित आदेश दिनांक 08.09.2009 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, घट प्रथम झालावाड़ (जिसे आगे "सशक्त अधिकारी" कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.03.2007 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे "अधिनियम" कहा जायेगा) की धारा 78(3) के तहत आरोपित कर रूपये 1,21,960 / एवं शास्ति राशि रूपये 2,43,921 / को अपास्त किया है।
- 2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि दिनांक 19.03.2007 को वाहन संख्या एच.आर. 38 ई 9837 को चैन्नई से डबवाली, सिरसा (हरियाणा) जाते वक्त झालरापाटन—झालावाड़ रोड पर सशक्त अधिकारी द्वारा चैक किया गया। वाहन में लदे माल के दस्तावेज मांगे जाने पर मैसर्स हिमालयन फेट कैरियर, चैन्नई की बिल्टी नं0 863 व 864 एवं मैसर्स मिनाची ट्रेडर्स का बिल नं0 43 व 44 तथा इस माल का ट्रांजिट पास संख्या 06050086444 जांच हेतु प्रस्तुत किये। वाहन चालक/मालप्रभारी से पूछताछ पर वाहन में उक्त घोषित माल के अलावा कोई अन्य माल नहीं होना जाहिर किया। जांच अधिकारी को माल की मात्रा के सम्बन्ध में संदेह होने व प्रेषक प्रेषिति के सत्यपनार्थ वाहन को धारा 76(5)(a) के तहत निरूद्ध किया गया। दिनांक 22.03.2007 को वाहन में लदे माल का भौतिक सत्यापन करवाने से पूर्व ही वाहन चालक/माल प्रभारी श्री जुगराज सिंह द्वारा मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, चैन्नई का बिल नम्बर 153 एवं मैसर्स निटको रोडवेज प्रा0लि0, जम्मू की बिल्टी नं0 457087 दिनांक 10.03.2007 पेश की जिसके अनुसार रूपये 975685/— की मशीनरी भी वाहन में परिवहनित



लगातार 2

किया जाना पाया गया। वाहन चालक द्वारा मैसर्स हिमालयन फ्रेट कैरियर, चैन्नई की बिल्टी नं0 863 व 864 एवं मैसर्स मिनाची ट्रेडर्स का बिल नं0 43 व 44 की चैक पोस्ट रायपुर से टी.पी. नम्बर 06050086444 दिनांक 19.03.2007 को बनवाई। वाहन में लदे शेष माल मशीनरी के प्रेषक फर्म मैसर्स लक्ष्मी इण्डस्ट्रीज, चैन्नई का बिल नम्बर 153 एवं मैसर्स निटको रोडवेज प्रा.लि. जम्मू की बिल्टी नं0 457087 दिनांक 10.03.2007 रूपये 975685 / – क्रेता फर्म मैसर्स बालाजी इण्डस्ट्रीज, जम्मू से संबंधित दस्तावेजों की टी.पी. चैक पोस्ट रायपुर पर नहीं बनवाई गई। सशक्त अधिकारी ने मशीनरी के माल की टी.पी. नहीं बनवाने पर अधिनियम की धारा 78(3) का उल्लंघन मानते हुए धारा 78(3) के तहत कार्यवाही करते हुए प्रत्यर्थी पर 12.5 प्रतिशत की दर से कर रूपये 2,43,921/- एवं दोगुनी शास्ति रूपये 3,68,885/- कुल मांग रूपये 3,65,881 / – आरोपित की। उक्त आदेश के विरूद्ध प्रत्यर्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर अपीलीय अधिकारी ने अपील को स्वीकार कर आरोपित कर एवं शास्ति को अपास्त किया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर विभाग द्वारा यह अपील अधिनियम की धारा 83 के तहत कर बोर्ड में प्रस्तुत की गई है। अपीलार्थी-विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि वाहन चालक / माल प्रभारी द्वारा उक्त माल पम्प / एसेसरीज / मशीनरी राज्य में विक्रय हेतु लाये जा रहे थे, जो कर चोरी की मंशा को सिद्ध करता है। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि चालक एवं माल प्रभारी द्वारा रायपुर चैक पोस्ट से पूर्व मध्यप्रदेश राज्य की ड्रंगरगांव चैक पोस्ट पर भी माल सिर्फ लेदर ही घोषित कर टी.पी. पास कराई है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

- प्रत्यर्थी बाजवूद सूचना अनुपस्थित।
- 5. विद्वान उप राजकीय अभिभाषक की एकपक्षीय बहस सुनी गयी एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकार्ड का अवलोकन किया गया।
- 6. यह तथ्य निर्विवाद है कि माल का गमनागमन राज्य के बाहर से राज्य के बाहर के लिए किया जा रहा था, इस तथ्य को सशक्त अधिकारी ने असत्य प्रमाणित नहीं किया है। मात्र कुछ दस्तावेजों की टी.पी. चैक पोस्ट रायपुर पर नहीं बनवाने का आधार मानते हुए शास्ति आरोपित किये जाने का समुचित कारण नहीं बनता है। माननीय न्यायालयों के अनेक निर्णयों में यह सुस्थापित किया जा चुका है कि राज्य के बाहर से राज्य में से गुजरते हुए पुनः राज्य के बाहर जाने वाले माल के सम्बन्ध में जब तक सशक्त अधिकारी द्वारा पूर्ण जांच कर करापवंचन की मनोदशा से अपराध प्रमाणित कर यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया जावे कि माल



राजस्थान राज्य में अमुक स्थान पर उतारा अथवा बेचा जायेगा अथवा राजस्थान राज्य से भरा जाकर परिवहनित किया जा रहा है, शास्ति का आरोपण विधिसम्मत नहीं है। वक्त अपील सुनवाई प्रस्तुत दस्तावेजों से यह प्रमाणित होता है कि माल का गमनागमन चैन्नई से हरियाणा एवं जम्मू के लिए किया जा रहा था, अतः राज्य के अधिकारियों का उस पर कोई क्षेत्राधिकार नहीं बनता है। इस सम्बन्ध में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम सोढी ट्रांसपोर्ट के (2001) 10 एसटीटी 219 (राज.) तथा वाणिज्यिक कर अधिकारी बनाम ग्लोब ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन (SB STR 165/2011) निर्णय दिनांक 26.02.2013 उल्लेखनीय हैं। उक्त न्यायिक निर्णयों में यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि माल का परिवहन राज्य के बाहर से अन्य राज्य को राजस्थान राज्य के बाहर के लिए किया जा रहा हो व माल को राजस्थान राज्य में कहीं उतारा अथवा बेचा जाने का प्रयास साबित नहीं होने की दशा में ऐसी स्थिति में केवल अनुमान व संदेह के आधार पर कर व शास्ति का आरोपण किया जाना पूर्णतया अविधिक एवं अनुचित है। इस सम्बन्ध में उक्त दोनों न्याय दृष्टान्तों के अलावा माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रकरणों में दिये गये निर्णय भी उल्लेखनीय हैं:—

- (1.) ACTO Vs Delhi Indore Transport Carrier (SB STR 215/2010) [2016] 44 TUD 98(Raj.)
- (2.) CTO Vs Globe Transport Company (SB STR 165/2011) D/o 26.02.2013
- 7. इन प्रकरणों में यह निर्णीत किया गया है कि राज्य के बाहर से राजस्थान में से होते हुए अन्य राज्य को जाने वाले मार्गस्थ माल पर धारा 22A(7) / 78(5) के अंतर्गत शास्ति आरोपित नहीं की जा सकती है। इस संबंध में सोढी ट्रांसपोर्ट कम्पनी के प्रकरण (2001)10 Sales Tax Today 219 (Raj.) में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा किये गये निर्णय के सुसंगत अंश निम्न प्रकार पुनरूल्लिखित है:—

"If a vehicle was carrying goods from one State to another State through Rajasthan even with a view to evade tax of other State, the authority empowered under the Rajasthan Sales Tax Act, 1954 had no jurisdiction to impose any penalty under section 22A(7) of the Rajasthan Sales Tax Act, 1954. For evasion of any tax taking place outside Rajasthan, the Act had no application to it."

"In this view of the matter Section 22A, RST Act not being applicable, confined as it is to the checking of evasion of tax under the RST Act in Rajasthan, the question of imposing penalty under section 22A(7)RST Act in cases of goods transiting through Rajasthan cannot arise. The sales tax authorities of Rajasthan can, of course, stop and check any vehicle but if it contains goods coming from another State and bound for another State they can only insist and ensure that the goods leave Rajasthan."


3

लगातार.....4

- 8. प्रस्तुत प्रकरण में भी चूंकि माल राजस्थान राज्य के बाहर चैन्नई से हिरयाणा व जम्मू के लिए परिवहनित किया जा रहा था तथा इस माल के राजस्थान राज्य के बाहर गंतव्य के बिल बिल्टी वाहन चालक द्वारा पेश कर दिये गये थे। सशक्त अधिकारी द्वारा उक्त माल के संबंध में कोई भी जांच कर यह साबित नहीं किया है कि यह माल राज्य के भीतर खाली किया जाना था। अतः सन्दर्भित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं पाया जाता है।
- 9. इसके अतिरिक्त अधिनियम की धारा 78(3) के अंतर्गत शास्ति आरोपण किये जा सकने सम्बन्धी प्रावधानों का अध्ययन किया जाना भी प्रासंगिक होगा। इस सम्बन्ध में धारा 78 को पुनरुल्लिखित किया जाता है :-
 - 78. Transit of goods by road through the State and issue of transit pass. (1) Where a vehicle or carrier coming from any place outside the State and bound for any place outside the State and carrying any goods bound for any place outside the State, passes through the State, the owner, the driver or the person incharge of such vehicle or carrier or goods shall obtain in such manner and on payment of such fee, as may be prescribed, a transit pass for such goods from the Incharge of the first check—post or barrier after his entry into the State and deliver it to the Incharge of the last check—post or barrier before his exit from the State.
 - (2) In case of transshipment of goods being transported under sub-section (1) the owner or driver or person incharge of such vehicle or carrier of such goods shall furnish such information to such authority and in such manner as may be prescribed.
 - (3) Where such owner, driver or person incharge fails to deliver such transit pass in respect of any goods in accordance with the provisions of sub–section (1) or is found to have suppressed or given false particulars of any consignment of goods in his application for issue of transit pass, it shall be presumed that such goods have been sold within the State by the owner, the driver or the person incharge of the vehicle or the carrier or the goods and the Incharge of the check–post or barrier from where such transit pass was issued or an officer not below the rank of Assistant Commercial Taxes Officer authorised by the Commissioner, after having afforded an opportunity of being heard to such owner, driver or person incharge, shall make an order that notwithstanding anything contained in this Act, such owner, driver or person incharge shall pay tax on such sale together with the penalty equal to double the amount of such tax.
 - (4) The system of transit pass as provided in sub-sections (1) and (3) shall come into force from such date and at such check-post or barrier as may be notified by the Commissioner from time to time.

इन प्रावधानों के अनुसार धारा 78(3) के अंतर्गत शास्ति निम्नलिखित दो परिस्थितियों में ही आरोपित की जा सकती है :--

- (i) राज्य से निकासी से पूर्व की चैक पोस्ट पर ट्रांजिट पास प्रस्तुत करने में असफल रहना; अथवा
- (ii) ट्रांजिट पास जारी करने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई तथ्य छुपाया गया हो या माल परिवहन के संबंध में गलत तथ्य दिये गये हों।



लगातार.....5

10. प्रथम परिस्थिति प्रस्तुत प्रकरण में लागू नहीं होती है क्योंकि वाहन राज्य से निकासी की चैक पोस्ट पर पहुंचा ही नहीं था, बल्कि उसे प्रवेश की चैक पोस्ट के निकटवर्ती स्थान पर ही चैक किया गया था। द्वितीय परिस्थित में शास्ति आरोपण हेतु ट्रांजिट पास जारी करवाने हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन पत्र में परिवहनित माल के सम्बन्ध में कोई तथ्य छुपाया जाना या मिथ्या विवरण दिया जाना आवश्यक है। इस सम्बन्ध में ट्रांजिट पास हेतु आवेदन पत्र की प्रक्रिया नियम 55 में दी गई है जो निम्नानुसार है:—

55. Transit of goods by road through State and issue of Transit Pass.-

- (1) For issuance of transit pass, the owner, the driver or the person incharge of vehicle or carrier or goods, shall submit dully filled Part-A of Form VAT-51 in three copies to the incharge of the first entry check-post in the State and if there is no such check-post, to the nearest check post from the entry point, (hereinafter referred to as entry check-post).
- (2) On submission of Form referred to in sub-rule (1), the incharge of the first entry check post shall on being satisfied with the particulars mentioned in Part-A and after making such enquiry as he deems necessary, shall complete Part-B of all the three copies of the Form VAT-51 and after affixing the Bar Code in specified place of Part-B, authenticate by affixing the seal of the check post in the First and Second copy, and shall retain the First copy of Form VAT-51 and deliver Second and Third copy of Form VAT51 to the applicant.
- 11. सक्षम अधिकारी की पत्रावली पर इस सम्बन्ध में कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है कि वाहन चालक / माल प्रभारी द्वारा फॉर्म VAT 51 के Part A में प्रवेश की चैक पोस्ट पर क्या घोषणा की गई तथा आवेदन पत्र Form VAT 51 में कौनसे माल का विवरण उल्लिखित नहीं किया, अतः इसके अभाव में इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा सकता है कि वाहन चालक या माल प्रभारी द्वारा ने वास्तव में क्या घोषणा की गई थी ? यद्यपि कर निर्धारण आदेश में मात्र सामान्य प्रक्रियागत टिप्पणी अंकित है कि ''राजस्थान वैट अधिनियम, 03 की धारा 78(1) के तहत राज्य के बाहर से राज्य के बाहर जा रहे समस्त माल जो वाहन में लदा है कि घोषणा बार्डर चैकपोस्ट पर करना आवश्यक है जिसे दस्तावेज चालान आदि की फोटो प्रति पेश की जाकर उक्त धारा के तहत टी.पी. बनवाई जाती है........।'' परन्तु पत्रावली पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रवेश जांच चौकी रायपुर से वाहन चालक द्वारा नियम 55 के अनुसरण में की गई किसी घोषणा के बारे में या जांच पश्चात किसी निष्कर्ष पर पहुंचने सम्बन्धी कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है। अतः द्वितीय कारण भी प्रमाणित नहीं पाये जाने के कारण धारा 78(3) के अंतर्गत शास्ति आरोपण विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता है।
- 12. उपर्युक्त विवेचन के अनुसार अपीलीय अधिकारी के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होने से उसकी पुष्टि की जाती है तथा विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है।
- 13. आदेश प्रसारित गया।

(ओमकार सिंह आशिया) सदस्य